न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
05/24	एफएसएस एक्ट, 2006	13/03/2021

1. वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधिकारी सवाई माधोपुर

–आवेदक

बनाम

1. पवन कुमार गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मौके पर विक्रेता) मैसर्स ओमप्रकाश स्वीट् सेन्टर प्राईवेट बस स्टेण्ड गंगापुर सिटी।
2. ओमप्रकाश गुप्ता पुत्र रामेश्वर गुप्ता (फर्म मालिक) मैसर्स ओमप्रकाश स्वीट् सेन्टर प्राईवेट बस स्टेण्ड गंगापुर सिटी निवासी वैध कॉलोनी गंगापुर सिटी निवासी वैध कॉलोनी गंगापुर सिटी।

—अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांक:– 10.06.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 06.03.2024 को 01:00 पी.एम पर मैसर्स ओमप्रकाश स्वीट सेन्टर प्राईवेट बस स्टेण्ड गंगापुर सिटी पर पहुंचा आवेदक द्वारा मौके पर उपस्थित विक्रेता से स्वंय का आधार कार्ड, खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र मांगा जिस पर उन्होने मौके पर खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं फर्म मालिक का आधार कार्ड प्रस्तुत किया। आवेदक द्वारा मौके पर संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को **Mawa Barfi Made form Mawa and Suger** में विक्रय हेतु रखे हुए थे **Mawa Barfi Made form Mawa and Suger** मिलावट का अंदेशा होने पर **Mawa Barfi Made form Mawa and Suger** 02 किलोग्राम वजनी खरीदें उसकी कीमत 320/– रू0 विक्रेता श्री पवन गुप्ता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता पवन गुप्ता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान दीपक के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वय परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने मौके पर फार्म सं0 5ए की प्रतियॉ एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर ,सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री पप्पू लाल ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा नमूने की पूर्ण कार्यवाही कर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमाक/एमएसएसए/2023/685 दिनांक 26.04.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विषलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/580/एक्ट/2023/642 दिनांक 10.03.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Mawa Barfi Made form Mawa and Suger, Food Cantaining Extraneous Matter under Section 3(1)(i) Food Safety and Standard Act 2006 deu to presence of Starch** होना पाया गया है।

आवेदक द्वारा **Mawa Barfi Made form Mawa and Suger, Food Cantaining Extraneous Matter under Section 3(1)(i) Food Safety and Standard Act 2006 deu to presence of Starch** का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 54 में निर्धारित है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण स्वयं उपस्थित । अभियुक्तगण ने अपना पक्ष रखते हुए जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया।

अभियुक्तगण ने अपना जवाब पेश कर दौराने बहस निवेदन किया कि आवेदक द्वारा निरक्षण विधि के अनुसार नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा अभियुक्त से खाली कागजों में हस्ताक्षर करवाये है। ना हि आवेदक द्वारा खाद्य पदार्थ क्रय का कोई मूल्य अभियुक्त को चुकाया है। आवेदक द्वारा अभियुक्त के सामने ना तो सील बन्द किया है ना हि शिशियों में भरा है। अभियुक्त की गैर मौजूदगी में गलत तरीके से उक्त कार्यवाही की गयी है तथा उक्त मावा बर्फी मे दूध,शक्कर के साथ–साथ ईलायची का भी उपयोग किया जाता है। जिसका अकन आवेदक ने कहीं नही किया है। आवेदक ने अपनी रिपोर्ट मे **Extraneous Matter under Section 3(1)(i) Food Safety and Standard Act 2006 deu to presence of Starch** बताया है। जिसका भी कोई स्पष्ट उल्लेख आवेदक द्वारा नहीं किया गया है कि बाहरी वस्तु क्या मिलाई गई है। आवेदक द्वारा बाहरी वस्तु का मिलावट होना बताया है, लेकिन यह नहीं बताया है कि बाहरी वस्तु क्या मिलाई है। इस प्रकार आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वतः ही गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। जो निरस्त योग्य है, साथ ही अभियुक्तगण ने उक्त प्रकरण में कार्यवाही ड्रॉप करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली मे संलग्न मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/580/एक्ट/2023/642 दिनांक 10.03.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Mawa Barfi Made form Mawa and Suger, Food Cantaining Extraneous Matter under Section 3(1)(i) Food Safety and Standard Act 2006 deu to presence of Starch** होना पाया गया है। यदि आवेदक उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था तो रैफरेल प्रयोगशाला में जांच हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था। अतः आवेदक द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 54 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्त को 10,000 (दस हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी मे पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एव एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति मे आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक...10.06.2024 . को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी